

F. 14(6)/LA-2006/ L/55/1047

New Delhi, dated the 22nd March, 2006

NOTIFICATION

F. 14(6)/LA-2006/ - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 20th March, 2006 and is hereby published for general information: -

**THE DELHI APPROPRIATION (NO.2) ACT, 2006
(DELHI ACT 2 OF 2006)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 16th March, 2006)

An Act to authorize payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services of the financial year 2006-2007. [20th March, 2006]

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows: -

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.2) Act, 2006.

Sum of

Rs. 14264,84,00,000/-

out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2006-2007.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of fourteen thousand two hundred sixty four crore eighty four lakh rupees only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2006-2007 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING				
Demand No.	Services and purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislative Assembly Revenue	86700	4000	90700
2	General Administration Revenue	538250	24550	562800
3	Administration of Justice Revenue	1090705	387770	1478475
4	Finance Revenue	825200	0	825200
5	Home Revenue	1339800	3400	1343200
	Capital	12000	0	12000
6	Education Revenue	15823200	4400	15827600
	Capital	464000	0	464000
7	Medical and Public Health Revenue	9439600	2400	9442000
	Capital	91000	0	91000
8	Social Welfare Revenue	3121600	0	3121600
	Capital	15448700	0	15448700
9	Industries Revenue	510100	100	510200
	Capital	448700	0	448700
10	Development Revenue	2272805	13100	2285905
	Capital	1392820	2000	1394820
11	Urban Development and Public Works Revenue	18778250	0	18778250
	Capital	38462750	950000	39412750
	Public Debt. Revenue	0	21300700	21300700
	Capital	0	9789800	9789800
12	Loans to Government Servants Capital	20000	0	20000
Total		110166180	32482220	142648400



(Rakesh Syal)

Joint Secretary (Law, Justice and Legislative Affairs)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग -4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपीओएस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14(3)/एल.ए.-2006/ ~~क.जे.~~ 05/1897

दिनांक 22 मार्च, 2006

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (6)/एल.ए.-2006/- उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 20 मार्च, 2006 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2006
(2006 का दिल्ली अधिनियम संख्या 2)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा 16 मार्च, 2006 को यथापारित)

[20 मार्च, 2006]

वर्ष 2006-2007 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम।

इसे भारतीय गणतंत्र के सत्तावर्धन वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

संक्षिप्त शीर्षक।

- (1) इस अधिनियम को दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2006 कहा जाए।

14264.84.00.000/-रुपयों का (2) वर्ष 2006-2007 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रवृत्त और प्रयुक्त और प्रयुक्त।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रवृत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (8) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए चौदह हजार दो सौ बीस लाख रुपये चौदासी लाख रुपये की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2006-2007 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

- (3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रवृत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि चक्र वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में सदिशित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

सांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मण्डल	राजस्व 86700	4000	90700
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व 538250	24550	562800
3	न्याय प्रशासन	राजस्व 1090705	387770	1478475
4	वित्त	राजस्व 825200	0	825200
5	गृह	राजस्व 1339800 पूंजी 12000	3400 0	1343200 12000
6	शिक्षा	राजस्व 15823200 पूंजी 464000	4400 0	15827600 464000
7	चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व 9439600 पूंजी 91000	2400 0	9442000 91000
8	समाज कल्याण	राजस्व 3121600 पूंजी 15448700	0 0	3121600 15448700
9	उद्योग	राजस्व 510100 पूंजी 448700	100 0	510200 448700
10	विकास	राजस्व 2272805 पूंजी 1392820	13100 2000	2285905 1394820
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व 18778250 पूंजी 38462750	0 950000	18778250 39412750
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व 0 पूंजी 0	21300700 9789800	21300700 9789800
12	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूंजी 20000	0	20000
जोड़		110166180	32482220	142648400

रमेश स्याल

(रमेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)